रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12, 2011/माघ 23, 1932

No. 76] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12, 2011/MAGHA 23, 1932

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 88(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय रेल सहायक आहार विज्ञान अधिकारी भर्ती नियम, 2009 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रेल मंत्रालय के चिकित्सा विभाग में सहायक आहार विज्ञान अधिकारी के समूह 'ख' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल, सहायक आहार विज्ञान अधिकारी भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-बैंड और ग्रेड-वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक आहार विज्ञान अधिकारी	2*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	रेल सेवा समूह 'ख' राजपत्रित (अननु-सचिवीय)	वेतन बैंड-2, 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4800 रु.	लागू नहीं होता	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति	प्रोन्नति : वेतन बैंड-2, (9300-34800 रु.)+ग्रेड वेतन 4600 रु. में ऐसे ज्येष्ठ आहारविद्, जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है और जो विभाग द्वारा समय-समय पर बनाई गई योजना के अनुसार लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में अर्हित हों । **टिप्पणी-1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पणी-2 :** केंद्रीयकृत चयन उत्तर रेल द्वारा आयोजित किया जाएगा । ये पद किसी भी विनिर्दिष्ट रेल से संबंधित नहीं है और इन्हें उन क्षेत्रीय रेलों पर परिचालित किया जाएगा जहां चयनित अधिकारी कार्यरत हैं । **टिप्पणी-3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर रेल —सदस्य 2. मुख्य कार्मिक अधिकारी, उत्तर रेल —सदस्य 3. उत्तर पश्चिम रेल के महाप्रबन्धक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला उत्तर पश्चिम रेल का कोई अन्य ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी का अधिकारी —सदस्य (इनमें से जो ज्येष्ठतम होगा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।)	आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 2010/ई (जी आर)I/1/1 (आर आर)]

जसवंत राय, कार्यपालक निदेशक, स्था. (राजपत्रित संवर्ग) रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2011

G.S.R. 88(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Railways Assistant Dietetics Officer Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' post of Assistant Dietetics Officer in the Medical Department of the Ministry of Railways, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Railways Assistant Dietetics Officer Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of posts, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Dietetics Officer	2*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	Railway Service, Group 'B' Gazetted (Non-Ministerial)	Pay Band-2, 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800	Selection	Not applicable	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
Promotion	**Promotion :** Senior Dietician in the Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) + Grade Pay of Rs.4600 with two years regular service in the grade and should have qualified the written test and viva-voce test as per the scheme formulated by the Department from time to time. **Note 1:** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** A centralised selection is to be held by Northern Railway. The posts do not belong to any specific Railway and are to be operated on the Railways where the selected officers are working. **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee : 1. Chief Medical Director, Northern Railway —Member 2. Chief Personnel Officer Northern Railway —Member 3. Any Senior Administrative Grade Officer of North Western Railway to be nominated by the General Manager, North Western Railway —Member (Senior most of them will act as Chairman)	Not necessary.

[F. No. 2010/E(GR)I/1/1/RR]

JASWANT RAI, Executive Director Estt. (Gaz. Cadre) Railway Board

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064